उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 203/2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री छट्टू प्रसाद पुत्र श्री झगडू प्रसाद,
अमृतपुरी बाग, गुमछिया, गदरपुर। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2 विपक्षी

निर्णय

परिवादी श्री छट्टू प्रसाद पुत्र श्री झगडू प्रसाद का एक शिकायती पत्र दिनांक 11.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU2M206207786 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल उपभोग से अधिक खपत का प्रेषित किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 11.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025, 15.01.2026, 30.01.2026, 24.02.2026, 12.03.2026 व 23.03.2026 को परिवादी प्रतिनिधि के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1298 दिनांक 12.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिल सम्बन्धी शिकायत के अनुपालन में परिवादी के उपरोक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की जांच हेतु रजिस्ट्रेशन संख्या–20201260604 किया गया, जिसके उपरांत परिवादी को चैक मीटर शुल्क का भुगतान करने हेतु दिनांक 06.01.2026 सूचित किया गया। परिवादी द्वारा चैक मीटर शुल्क भुगतान किए जाने के उपरांत

क्रमशः 2....

विभाग द्वारा परिवादी के उक्त परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर दिया गया जिसे कुछ दिनों फाइनल किया गया। चैक मीटर फाइनल करते समय दोनों मीटरों की जांच करने पर दोनों मीटर में समान यूनिट खपत दर्ज पायी गयी, जिससे यह प्रतीत होता है कि परिवादी का पुराना मीटर सही है। साथ ही परिवादी को जारी बिल सही है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 24.01.2026 को परिवादी के परिसर पर चैक मापक स्थापित किया गया तथा दिनांक 24.02.2026 को चैक मापक फाइनल किया गया। विपक्षी विभाग ने अपने जवाब दावे में स्पष्ट किया कि चैक मापक रिपोर्ट के अनुसार परिवादी का पुराना मीटर सही पाया गया। चूंकि मीटर परीक्षण के दौरान परिवादी का पुराना मीटर सही पाया गया है तथा सही मीटर में अंकित रीडिंग के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादी की देयता बनती है। अतः परिवादी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 217/2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री विष्णु पुत्र श्री मिठई लाल, परिवादी
चारूवेटा, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री विष्णु पुत्र श्री मिठई लाल का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1K360094315 (01 किलोवाट घरेलू) का माह जुलाई 2024 का बिल रू0 2049.00 जारी किया गया जो सही था जिसका भुगतान भी कर दिया गया था। इसके उपरान्त अचानक माह अगस्त 2024 में रू0 133683.00 का बिल जारी किया गया, जो गलत है। तब से आज तक गलत राशि के बिल जारी किए जा रहे हैं, जिनको संशोधित करने हेतु विभागीय कार्यालय में भी सम्पर्क किया गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बिल जमा न होने पर उक्त संयोजन को विच्छेदित किये जाने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी गलत विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 24.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 15.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 15.01.2026, 30.01.2026, 25.02.2026, 11.03.2026 व 24.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–460 दिनांक 23.03.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया कि परिवादी का पुराना विद्युत मापक (एचडी0426) खराब होने के कारण विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, सितारगंज द्वारा बदलकर नया विद्युत मापक (71874453) स्थापित कर दिया गया था, जिसकी सीलिंग सिस्टम में फीड न होने के कारण परिवादी का विद्युत बिल संशोधित नहीं हो पा रहा था। परिवादी के नए मापक की सीलिंग प्रमाण पत्र सिस्टम में फीड करते हुए दिनांक 10.01.2025 को परिवादी के परिसर पर स्थापित नए मापक (71874453) में दर्ज पाठयांक 48336 केडब्लूएच के आधार परिवादी के विद्युत बीजक की मैनुअली गणना के आधार पर अवास्तविक धनराशि रू0 47556.19 को घटाते हुए रू0 1,45,040.81 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 244/2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती सोमवती पत्नी श्री नन्दराम, परिवादी
ग्राम मझौला, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती सोमवती पत्नी श्री नन्दराम का एक शिकायती पत्र दिनांक 21.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2P104188627 (01 किलोवाट घरेलू) का दिनांक 10.02.2021 से दिनांक 06.03.2025 तक आरडीएफ के आधार पर बिल जारी किए गये हैं। जिसके उपरान्त मीटर बदला है लेकिन आरडीएफ बिलों का समायोजन नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने आरडीएफ बिलों का समायोजन दिलाते हुए संशोधित बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 21.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026, 25.02.2026, 11.03.2026 व 24.03.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–461 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया गया कि परिवादिनी का पुराना विद्युत मापक (जीयू193896) खराब होने के कारण दिनांक 26.07.2025 को बदलकर नया विद्युत मापक (42019847) स्थापित कर दिया गया था। नए विद्युत मापक को स्थापित

क्रमशः 2....

करने के उपरांत नए मापक में दर्ज पाठयांक 4021 केडब्लूएच के आधार पर परिवादिनी के विद्युत बीजक को मैनुअली गणना करते हुए अवास्तविक धनराशि रू0 19570.20 घटाने के उपरांत रू0 20111.80 को संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 246 / 2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राम मूर्ति पुत्र श्री मेवा राम, परिवादी
ग्राम मझौला, खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री राम मूर्ति पुत्र श्री मेवा राम का एक शिकायती पत्र दिनांक 22.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2P102113483 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल बहुत अधिक धनराशि का जारी किया गया है जोकि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 23.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 30.01.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 30.01.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 30.01.2026, 25.02.2026, 11.03.2026 व 24.03.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–463 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया कि परिवादी का पुराना विद्युत मापक (57583) खराब होने के कारण दिनांक 09.07.2025 को बदलकर नया विद्युत विद्यत मापक (42020700) स्थापित कर दिया गया था। परिसर पर स्थापित नए मापक में दर्ज पाठ्यांक 1236 केडब्लूएच के अनुसार बिल की मैनुअल गणना करते हुए अवास्तविक धनराशि

क्रमशः 2....

रू0 42.33 को कम करते हुए रू0 13157.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मियाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 251/2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती पार्वती पत्नी श्री जोगराज, **परिवादी**
ग्राम मझौला, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती पार्वती पत्नी श्री जोगराज का एक शिकायती पत्र दिनांक 28.01.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH2P102100363 (01 किलोवाट घरेलू) पर स्थापित पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। जब से स्मार्ट मीटर लगा है तभी से विद्युत बिल अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 07.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 25.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 25.02.2026, 11.03.2026 व 24.03.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–462 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया कि परिवादिनी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक के पाठयांक के आधार पर ही बिल निर्गत किए जा रहे हैं। परिवादिनी द्वारा दिनांक 13.09.2022 के बाद से विद्युत बीजकों का भुगतान नहीं किया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत

क्रमशः 2....

की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को लगातार मीटर रीडिंग के आधार पर बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। विपक्षी विभाग द्वारा दिनांक 28.08.2025 को परिवादी के परिसर पर पुराना मीटर हटाकर नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है, जिसके उपररांत भी उसे मीटर में अंकित रीडिंग के अनुसार बिल प्रेषित किए जा रहे हैं। परिवादिनी द्वारा कभी अपने मीटर पर आपत्ति करते हुए मीटर की जांच के संबन्ध में भी कोई अनुरोध नहीं किया गया। चूंकि मीटर में अंकित रीडिंग के अनुसार प्रेषित बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मैयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 264/2025–26 दिनांक : **13.04.2026**

उपस्थितः **श्री रमेश चन्द्र मयाल**
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री राजकुमार पुत्र श्री मथुरा दास, परिवादी
वार्ड नं0 06, आवास विकास, गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री राजकुमार पुत्र श्री मथुरा दास का एक शिकायती पत्र दिनांक 18.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1C103196494 (02 किलोवाट घरेलू) जिस परिसर पर स्थापित है उस पर न्यायालय चतुर्थ अपर सिनियर सिविल जज रूद्रपुर में राजकुमार बनाम संजीव कुमार वाद संख्या–91/2017 विचाराधीन चल रहा था, जोकि अब मामला समाप्त हो गया है। उक्त परिसर पर एक कमरा, लेट्रिन, बाथरूम और चाहरदीवारी बनी है तथा वर्तमान में उक्त कनेक्शन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है और उनका बिल भी बहुत अधिक आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को स्थायी रूप से बन्द कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 18.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 12.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 12.03.2026 व 23.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1667 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बिलिंग विवरण की जांचोपरांत परिवादी के विद्युत बिल को संशोधित कर रू0 16086.00 का बना दिया गया है, जिसमें रू0 2098.28 का विलम्ब

क्रमशः 2....

अधिभार शुल्क भी शामिल है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि परिवाद की सुनवाई के उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी के त्रुटिपूर्ण बिल को उपरोक्तानुसार संशोधित कर दिया है, परन्तु संशोधित बिल में रू0 2098.28 का विलम्ब अधिभार शुल्क भी प्रभारित किया गया है। चूंकि विपक्षी विभाग द्वारा संयोजन निर्गत होने की तिथि से वर्तमान तक (संपूर्ण अवधि) का बिल संशोधित किया गया है। बिल संशोधन की इस पूरी प्रकिया में विपक्षी विभाग द्वारा संयोजन निर्गत होने की तिथि से वर्तमान तक परिवादी को प्रेषित समस्त बिल निरस्त माने जाते हैं, जिसके उपरांत संशोधित बिल में विलम्ब अधिभार शुल्क प्रभारित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अतः संशोधित बिल में विलम्ब अधिभार शुल्क प्रभारित किया जाना गलत एवं नियमविरूद्ध है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार संशोधित बिल (रू0 16086.00) में प्रभारित विलम्ब अधिभार शुल्क की धनराशि रू0 2098.28 घटाते हुए परिवादी को पुनः संशोधित बिल निर्गत करें तथा पुनः संशोधित बिल का भुगतान प्राप्त होने पर संयोजन का नियमानुसार स्थाई विच्छेदन करना सुनिश्चित करें। विपक्षी विभाग 30 दिन के भीतर इस आदेश की अनुपालन आख्या इस मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र बर्थाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

दिनांक : 13.04.2026

उपभोक्ता परिवाद सं0: 269 / 2025–26

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री शांति मण्डल पुत्र श्री पूरन चन्द्र मण्डल, — परिवादी
जगतपुरा वार्ड नं0 05, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादी श्री शांति मण्डल पुत्र श्री पूरन चन्द्र मण्डल का एक शिकायती पत्र दिनांक 20.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891B127119026 (01 किलोवाट घरेलू) का माह अक्टूबर 2025 का बिल रू0 156.00 जारी किया गया था इसके बाद माह नवम्बर 2025 से मीटर की डिस्प्ले स्पष्ट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बिल नहीं बन पा रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर को बदलकर नया मीटर स्थापित करने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 20.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.03.2026 व 24.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1716 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित पुराने खराब विद्युत मापक संख्या–84637350 को बदलकर नया स्मार्ट विद्युत मापक संख्या–12087952 दिनांक 09.03.2026 को

क्रमशः 2....

स्थापित कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप नए मापक स्थापित होने से सम्बन्धित सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 281 / 2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री हीरा बल्लभ पुत्र श्री धर्मानन्द, परिवादी
खटीमा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री हीरा बल्लभ पुत्र श्री धर्मानन्द का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH1K131038378 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत बिल अधिक आ रहा है, जबकि उनकी विद्युत खपत बहुत कम है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 13.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.03.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–464 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया कि परिवादी के विद्युत बीजक पुराना विद्युत मापक खराब होने के कारण अत्यधिक धनराशि के जारी किए जा रहे हैं। विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला, सितारगंज द्वारा पुराना खराब मापक बदलकर नया विद्युत मापक स्थापित कर दिया गया है। नए मापक में दर्ज वास्तविक पाठयांक के आधार पर परिवादी के विद्युत बिल की मैनुअली गणना करते हुए अवास्तविक धनराशि रू0 26818.00 घटा दिया गया है और

क्रमशः 2....

रू0 5989.20 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना एवं कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 287 / 2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री गुलाब राई, परिवादी
शुक्ला फार्म, तीन पानी डाम, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–1

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री गुलाब राई का एक शिकायती पत्र दिनांक 16.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–891A567173144 (01 किलोवाट घरेलू) का विद्युत अधिक आ रहा है, पहले उनका बिल 100–200 रूपये की बीच आता था। अब अचानक अधिक आ रहा है जबकि उनके घर पर कोई भी अतिरिक्त इलैक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। यहां तक की पानी की मोटर भी नहीं लगी है। केवल एक पंखा और एक बल्व में इतना अधिक बिल आ रहा है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन पर जारी विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–1 को अपने पत्र दिनांक 16.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 24.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 24.03.2026 को परिवादिनी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री सतीश जोशी, सहायक अभियन्ता (राजस्व) एवं श्री अजय मैग्रेगर, खण्डीय लिपिक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1718 दिनांक 23.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के बिलिंग विवरण की जांच करने पर पाया कि परिवादिनी को मीटर पाठयांक के आधार पर ही सभी विद्युत बिल जारी किए गए हैं। परिवादिनी द्वारा

क्रमशः 2....

दिनांक 25.03.2025 के उपरांत विद्युत बीजक के सापेक्ष कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। वर्तमान माह 03/2026 तक परिवादिनी को निर्गत विद्युत बिल के सापेक्ष कुल बकाया रू0 13744.00 भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप विद्युत बिल एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्षों को सुनने एवं तथ्यों का अवलोकन करने पर इस मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को दिनांक 24.10.2019 को उक्त विद्युत संयोजन निर्गत किया गया था, जिसके उपरांत विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी को लगातार मीटर में अंकित खपत के आधार पर बिल निर्गत किए गए हैं। पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री के अनुसार इस संपूर्ण अवधि में परिवादिनी की मासिक खपत के पैटर्न में अक्सर अंतर तो जरूर दिखता है, परन्तु किसी माह में अप्रत्याशित खपत अंकित हुई नहीं दिखाई देती है। परिवादिनी द्वारा भी कभी अपने संयोजन पर स्थापित मीटर के संबन्ध में विपक्षी विभाग के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। चूंकि परिवादिनी के संयोजन पर स्थापित मीटर पूर्णरूप से अविवादित है तथा अविवादित मीटर में अंकित खपत के आधार पर प्रेषित बिलों पर परिवादिनी की देयता बनती है। अतः परिवादिनी की यह शिकायत स्वीकार करने योग्य नहीं है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र भयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 207 / 2025–26 दिनांक : 22.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री मनोज कुमार पुत्र श्री भगवान सिंह, परिवादी
ग्राम हलवाड़ी, श्रीपुरविछवा, खटीमा।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, खटीमा।

निर्णय

परिवादी श्री मनोज कुमार पुत्र श्री भगवान सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.12.2025 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KH0K000013951 (व्यवसायिक) का स्वीकृत भार 05 किलोवाट है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा जारी बिलों में स्वीकृत भार से अधिक 12 किलोवाट, 37 किलोवाट एवं 39 किलोवाट अलग–अलग भार दर्ज करते हुए बिल जारी किया जा रहा है, जोकि गलत एवं अत्यधिक धनराशि के हैं। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय में भी कई बार शिकायत की गई, जिसके उपरान्त विभाग द्वारा मीटर की जांच की गई, लेकिन विद्युत बिल अभी तक सही नहीं किए जा रहे हैं। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त संयोजन के विद्युत बिल वास्तविक भार के आधार पर संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, खटीमा को अपने पत्र दिनांक 17.12.2025 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 24.12.2025 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 26.12.2025 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 26.12.2025, 15.01.2026, 30.01.2026, 25.02.2026, 11.03.2026, 24.03.2026, 08.04.2026 व 22.04.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री भूवन चन्द्र शर्मा, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–473 दिनांक 24.03.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी द्वारा स्वीकृत संयोजन (भार 06 किलोवाट) के सापेक्ष माह 02 / 2025 में 12.00 किलोवाट, माह 03 / 2025 में 38.00 किलोवाट, माह 04 / 2025 में 22.00 किलोवाट, माह 05 / 2025 में 39.60 किलोवाट का उपभोग किया गया जोकि मापक की एम.आर.आई. रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है। उसके पश्चात् परिवादी के द्वारा स्वीकृत भार तक ही उपभोग किया गया है। परिवादी के द्वारा परिसर पर चैक मापक भी स्थापित कराया गया था, चैक मापक रिपोर्ट में मापक सामान्य पाया गया। इससे स्पष्ट है कि परिवादी का बीजक एम.आर.आई. रिपोर्ट के अनुसार ही बनाया जा रहा है। इसके पश्चात भी खण्ड कार्यालय द्वारा परिवादी के द्वारा पूर्व में किये गये उपभोग विवरण के आधार पर पूर्व में ही रू0 21968.00 का समयोजन बीजक में किया जा चुका है। सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा पुनः जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में परिवादी के विद्युत बीजक में पुनः धनराशि रू0 14662.00 का समायोजन दिया गया है, जिसके तहत परिवादी को कुल धनराशि रू0 36630.00 का समायोजन दिया जा चुका है। वर्तमान समय में परिवादी का शुद्ध बकाया विद्युत बीजक रू0 65314.00 है, जो भुगतान हेतु लम्बित है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल गणना, कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री एवं एम.आर.आई. रिपोर्ट की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज-1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 283 / 2025–26 दिनांक : 13.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री चन्द्र मोहन बंसल, परिवादी
जी 33 सीए, पांच मन्दिर मार्ग, स्वास्तिक ज्वैलर्स, रूद्रपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री चन्द्र मोहन बंसल का एक शिकायती पत्र दिनांक 13.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके परिसर जी 33 सीए, पांच मन्दिर मार्ग, स्वास्तिक ज्वैलर्स, रूद्रपुर पर दिनांक 25.01.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया है। उक्त दुकान हमेशा बन्द रहती है जिसकी विद्युत खपत न के बराबर है। मीटर बदले जाने से अब तक विभाग द्वारा कोई भी बिल जारी नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर का न्यूनतम फिक्स चार्ज के अनुसार बिल जारी कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 13.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 20.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.03.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–1444 दिनांक 20.03.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 09.03.2026 तक परिवादी का संशोधित बिल रू0 90.00 बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या—283 / 2025—26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 289 / 2025–26 दिनांक : 22.04.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री संजीत सिंह, परिवादी
ग्राम बकसौरा, तहसील गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादिनी श्रीमती मीना देवी पत्नी श्री संजीत सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU9DS04396685 (07 एच.पी. नलकूप) का मैनुअली विद्युत बिल परिवादिनी को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने अपने पिछले बिल का ऑनलाईन भुगतान मार्च 2025 में रू0 7503.00 का किया है। इसके उपरांत विभाग द्वारा अचानक रू0 59000.00 का बिल जारी कर दिया गया है, जोकि गलत है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 17.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.03.2026, 09.04.2026 व 22.04.2026 को परिवादिनी अनुपस्थित रही, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3144 दिनांक 22.04.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादिनी के उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मापक में दर्ज

क्रमशः 2....

वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बीजक को संशोधित कर रू0 613.00 का बना दिया गया है, जो परिवादिनी द्वारा भुगतान भी कर दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादिनी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादिनी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकती हैं।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 290/2025–26 दिनांक : 22.04.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री वचन सिंह, परिवादी
ग्राम बकसौरा, तहसील गदरपुर।
बनाम
अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री वचन सिंह का एक शिकायती पत्र दिनांक 17.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU9DS04755393 (07 एच.पी. नलकूप) का मैनुअली विद्युत बिल परिवादी को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में कई बार विभाग में सम्पर्क किया गया, परन्तु उनके द्वारा न बिल दिया गया और न यह बताया गया कि कितना भुगतान करना है। इसके उपरांत विभाग द्वारा अचानक रू0 40000.00 का बिल जारी कर दिया गया है, जोकि गलत है। साथ बकाया पर परिवादी का उक्त संयोजन काट दिया गया है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित विद्युत मीटर की वास्तविक रीडिंग के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 17.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 23.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 23.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 23.03.2026, 09.04.2026 व 22.04.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3146 दिनांक 22.04.2026 के

क्रमशः 2....

द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के विद्युत बीजक (धनराशि रू0 40176.00) को उनके मापक में दर्ज वास्तविक पाठयांक के आधार पर संशोधन करते हुए संशोधित बिल रू0 14505.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित बिल, कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मबाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 294 / 2025–26 दिनांक : 22.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री अनिल कुमार, परिवादी
सी 193, फस्ट फ्लोर, अलकनंदा अपार्टमेंट,
शिमला लेक सिटी, दानपुर, रूद्रपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री अनिल कुमार का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU1K123176920 (घरेलू) पर स्थापित विद्युत मीटर पॉवर सप्लाई नहीं आ रही है। इस सम्बन्ध में विभाग को ऑनलाईन शिकायत भी की गयी है, परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन की विद्युत सप्लाई सुचारू कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 23.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.04.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.04.2026 व 22.04.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3142 दिनांक 22.04.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई है। इस सम्बन्ध में विपक्षी विभाग द्वारा अपना लिखित जवाब दावे

क्रमशः 2....

की प्रति भी प्रस्तुत की गई। परिवादी द्वारा ई—मेल के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान होने की सूचना इस मंच के समक्ष प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज—1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र गर्ब्याल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 297 / 2025–26 दिनांक : 22.04.2026

उपस्थित: श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री बरमाली दास पुत्र श्री महेन्द्र कुमार वास्ते श्री रतनदास, परिवादी
मोतीपुर नं0 02, दिनेशपुर, तहसील गदरपुर।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, रूद्रपुर–2

निर्णय

परिवादी श्री बरमाली दास पुत्र श्री महेन्द्र कुमार की ओर से श्री रतनदास का एक शिकायती पत्र दिनांक 23.03.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–RU9DC01004547 (05 किलोवाट नलकूप) के विद्युत बिल का भुगतान ब्याज माफी योजना के अन्तर्गत वर्ष 209 में किया गया था। लेकिन विभाग द्वारा पूर्ण भुगतान होने के उपरांत भी ब्याज माफी योजना का लाभ नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यालय के कई बार चक्कर लगाये परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके उपरांत वर्ष 2025 में फोरम कार्यालय में शिकायत दर्ज करायी जिसके उपरांत फोरम से आदेश हुआ कि कुल धनराशि रू0 140636.00 में से रू0 73636.00 घटाते हुए संशोधित बिल रू0 68000.00 का बना दिया गया है, जिसके उपरांत परिवादी द्वारा बिल रू0 68000.00 का पूर्ण भुगतान दिनांक 31.03.2025 को कर दिया गया फिर भी विभाग द्वारा लेजर से पैसे कम नहीं किए गये है। आज दिनांक तक उक्त धनराशि बिल में जुड़कर ब्याज सहित आ रही है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त विद्युत संयोजन पर जारी विद्युत बिल को ब्याज रहित संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, रूद्रपुर–2 को अपने पत्र दिनांक 23.03.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 31.03.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 09.04.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 09.04.2026 व 22.04.2026 को परिवादी अनुपस्थित रहा, जबकि विपक्षी की ओर से श्री प्रवेन्द्र कुमार, सहायक अभियन्ता (राजस्व) के तर्क सुने

क्रमशः 2....

गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–3147 दिनांक 22.04.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि परिवादी के त्रुटिपूर्ण विद्युत बीजक में धनराशि (72635+1416) रू0 74052.00 का समायोजन देते हुए रू0 11269.00 का संशोधित बिल बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तद्नुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तद्नुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता है।

(रमेश चन्द्र मयाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
ऊधमसिंह नगर क्षेत्र, रूद्रपुर

उपभोक्ता परिवाद सं0: 268 / 2025–26 दिनांक : 23.04.2026

उपस्थितः श्री रमेश चन्द्र मयाल
(तकनीकी सदस्य)

श्री सुभाष चन्द्र भट्ट
(उपभोक्ता सदस्य)

श्री गुलाम इजदानी पुत्र श्री गुलाम सुभनी, परिवादी
ग्राम सैंजना, पो0–दरऊ, किच्छा।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड, किच्छा।

निर्णय

परिवादी श्री गुलाम इजदानी पुत्र श्री गुलाम सुभनी का एक शिकायती पत्र दिनांक 19.02.2026 को इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता का कथन है कि उनके विद्युत संयोजन संख्या–KC9G205007192 (7.50 एच.पी. नलकूप) पर लगा विद्युत मीटर वर्ष 2022 से खराब चल रहा है जिसकी वजह से अत्यधिक बिल आ रहा है। वर्ष 2023 में जो बिल जारी किया गया है उसमें भी खपत से अधिक रीडिंग दर्ज की गयी है। शिकायतकर्ता ने इस मंच से अपने उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर के वास्तविक पाठयांक के आधार पर विद्युत बिल को संशोधित कराने की प्रार्थना की है।

उपरोक्त शिकायत के निस्तारण के लिए इस उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता, वि0वि0ख0, किच्छा को अपने पत्र दिनांक 19.02.2026 द्वारा नोटिस जारी कर दिनांक 28.02.2026 तक सभी साक्ष्यों सहित अपना जवाब दाखिल करने एवं दिनांक 11.03.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु बुलाया गया। दिनांक 11.03.2026, 24.03.2026, 10.04.2026 व 23.04.2026 को परिवादी स्वयं के तथा विपक्षी की ओर से श्री मुकेश कुमार, कार्यालय सहायक–2 के तर्क सुने गये।

विपक्षी विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या–239 दिनांक 22.04.2026 के द्वारा इस मंच को अवगत कराया है कि दिनांक 24.03.2026 को परिवादी के उक्त मामले की सुनवाई के दौरान फोरम द्वारा दिए गये निर्देशानुसार परिवादी के उक्त विद्युत संयोजन पर स्थापित पुराने

क्रमशः 2....

परिवाद संख्या–268 / 2025–26
वि.उ.शि.नि. मंच, ऊधमसिंह नगर क्षेत्र

मापक संख्या–14771991 को खराब मानते हुए, दिनांक 05.10.2023, को परिवादी के परिसर पर स्थापित नए मापक संख्या–9148907 के औसत खपत के आधार पर, पूर्व में जारी बिलों दिनांक 24.05.2017 से वर्तमान माह 12 / 2025 तक बिलों में संशोधन हेतु खण्ड कार्यालय द्वारा कार्यालय ज्ञाप जारी किया गया, जिसके उपरांत परिवादी के त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों में संशोधन करने पर धनराशि रू0 151390.00 का समायोजन देते हुए संशोधित बिल रू0 82195.00 का बना दिया गया है। विपक्षी विभाग द्वारा अपने जवाब के साथ साक्ष्य स्वरूप कार्यालय ज्ञाप, संशोधित कंज्यूमर लेजर एवं कंज्यूमर बिलिंग हिस्ट्री की प्रति भी प्रस्तुत की गई। तदनुसार विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिया गया है।

आदेश

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी की शिकायत का उपरोक्तानुसार समाधान कर दिया गया है। तदनुसार यह परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर माननीय औम्बड्समैन, 80, वसंत विहार, फेज–1, देहरादून के समक्ष अपील कर सकता हैं।

(रमेश चन्द्र मंग्वाल)
तकनीकी सदस्य

(सुभाष चन्द्र भट्ट)
उपभोक्ता सदस्य